

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2022/44296/BST/BASTI/161/CFO

दिनांक : 09-05-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **ACADEMIC GLOBAL SCHOOL** पता **ARAZI NO-206, 207, 208,VILL-SANSARPUR,BASTI** तहसील - **BASTI** प्लॉट एरिया **8004 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **794** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ACADEMIC GLOBAL SCHOOL	1	0	3.35 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **ACADEMIC GLOBAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **12-05-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SANJEEV KUMAR** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **12-05-2025** से **11-05-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **ACADEMIC GLOBAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **ACADEMIC GLOBAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : आवेदक द्वारा शपथ पत्र संख्या 17686 x दिनांक 05.05.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में प्रश्रुत भवन का मात्र भूतल ही निर्मित है एवं भूतल का ही उपभोग किया जा रहा है। अतः उपरोक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-18 /छ:-पु०-8 -2022/905-34 -201टी०सी०दिनांक 07 -01 -2022 एवं उ0प्र0अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के उपबन्धों के आधार पर इस शर्त के साथ निर्गत कि यदि अन्य तलों का निर्माण किया जाता है तो उपभोग किये जाने से पूर्व अन्य निर्मित तलों हेतु अलग से अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछनीय होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

YATINDRA NATH

3AE69CB8601B8602CFB2507A69D0EF386F719C3D

12-05-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 12-05-2025
स्थान : BASTI

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.